



प्रीलिम्स फैक्ट्स: 18 मई, 2019

 drishtiias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/prelims-facts/18-05-2019/print

माउंट मकालू

माउंट मकालू दुनिया की पाँचवी सबसे ऊँची चोटी है जिसकी ऊँचाई 8485 मीटर है। यह नेपाल-तिब्बत (चीन) सीमा पर हिमालय में स्थित है।

- इस चोटी को दुनिया की सबसे खतरनाक पर्वत चोटियों में से एक माना जाता है और मौसम की दुरुह परिस्थितियों तथा हाड़ कंपा देने वाली ठंड के कारण इस चोटी पर चढ़ना बेहद चुनौतीपूर्ण समझा जाता है।
- यह पर्वत चोटी पर्वतारोहियों की तकनीकी सूझ-बूझ, मानसिक और शारीरिक साहस तथा माउंट मकालू के शिखर तक पहुँचने के उनके संकल्प की परीक्षा लेती है।

पिछले दिनों भारतीय ने सेना माउंट मकालू के पर्वतारोहण (First Indian Army Mountaineering) अभियान की शुरुआत की थी।

- यह पिरामिड के आकार का पर्वत है जो माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में स्थित है।
- मकालू नाम संस्कृत शब्द 'महाकाल' से लिया गया है, जो हिंदू देवता शिव का एक नाम है। चीन में इस चोटी को मकारु नाम से जाना जाता है।

मकालू-बारुण राष्ट्रीय उद्यान

माउंट मकालू नेपाल के मकालू-बारुण राष्ट्रीय उद्यान और संरक्षण क्षेत्र में स्थित है, यह 580 वर्ग मील का एक पार्कलैंड है जो 13,000 फीट से ऊपर के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों से लेकर अल्पाइन टुंड्रा तक प्राचीन पारिस्थितिकी प्रणालियों की रक्षा करता है।

- वनस्पति विज्ञानियों ने फूलों की 3,128 प्रजातियों की पहचान की है जिनमें रोडोडेंड्रोन (बुरांश के फूल) की 25 प्रजातियाँ शामिल हैं।
- 440 से अधिक पक्षी प्रजातियों और 88 स्तनपायी प्रजातियों के साथ कई अन्य जानवर भी यहाँ पाए जाते हैं जिसमें लाल पांडा, हिम तेंदुआ और दुर्लभ एशियाई गोल्डन कैट भी शामिल हैं।

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

हाल ही में राजस्थान सरकार ने राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य केंद्र, उजाला क्लिनिक (किशोर हितैषी स्वास्थ्य क्लिनिक) को फिर से शुरू करने का फैसला किया है।

‘राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम’

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram-RKSK) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 7 जनवरी, 2014 को 10-19 वर्ष की आयु वर्ग के किशोरों के लिये शुरू किया गया यह स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्य मुद्दों के अलावा पोषण, प्रजनन स्वास्थ्य और मादक द्रव्यों के सेवन को लक्षित करेगा।
- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य किशोर भागीदारी और नेतृत्व, समता तथा समावेशन, लैंगिक समानता एवं अन्य क्षेत्रों व हितधारकों के साथ सामरिक भागीदारी है।
- इसके तहत किशोरों में मानसिक स्वास्थ्य, पोषण, गैर-संचारी रोग, लिंग आधारित हिंसा और मादक पदार्थों के सेवन की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन संबंधी मार्गदर्शन करने के लिये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (United Nations Population Fund- UNFPA) के सहयोग से स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare- MoHFW) ने एक राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति विकसित की है।
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, पदार्थों का दुरुपयोग, गैर-संचारी रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और हिंसा पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इस कार्यक्रम के प्रमुख कार्यों में काउंसलर द्वारा मदद, सुविधा-आधारित परामर्श, सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन, संचार, देखभाल के स्तरों पर किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (Adolescent Friendly Health Clinics- AFHC) को मजबूत बनाने जैसे समुदाय-आधारित हस्तक्षेप शामिल हैं।

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस

हाल ही में रक्षा मंत्रालय और सेना ने मिलिट्री नर्सिंग सर्विस (Military Nursing Service- MNS) कैडर को पूर्व सैनिकों का दर्जा देने के लिये सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

पूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अधिकारी पहचान पत्र प्राप्त करने, सरकारी संगठनों/सार्वजनिक उपक्रमों में पुनः रोजगार पाने और सशस्त्र बलों की विभिन्न पुनर्वास योजनाओं हेतु आवेदन करने में सक्षम होंगे।

मिलिट्री नर्सिंग सर्विस की स्थापना 1943 में एक सहायक बल के रूप में की गई थी और इसमें केवल महिला अधिकारी होती हैं। गौरतलब है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस तीनों सेनाओं में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम करती है।

• यह सशस्त्र बलों में एकमात्र ऐसी वाहिनी है जिसमें केवल महिलाएँ हैं।

ताइवान में समलैंगिक विवाह को मंजूरी

हाल ही में ताइवान ने एक विधेयक पारित करते हुए समलैंगिक विवाह को मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि ताइवान समलैंगिक विवाह की अनुमति देने वाला पहला एशियाई देश बन गया है।

- ताइवान संसद द्वारा पारित यह विधेयक समलैंगिक जोड़ों को भी पुरुष-महिला विवाहित जोड़ों की भाँति ही सुविधाएँ प्रदान करेगा।

- भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के कुछ प्रावधानों को खत्म करते हुए समलैंगिकता को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था।

brazil

विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएँ...

द्विलैंगिक (Bisexual) - वे जो महिला और पुरुष दोनों के प्रति आकर्षित हों।

विषमलैंगिक (Heterosexual) - वे जो केवल विपरीत लिंग की ओर आकर्षित हों।

समलैंगिक - वे लोग जो अपने ही लिंग के किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति आकर्षित हों।

लेस्बियन (Lesbian)- वे महिलाएँ जो महिलाओं के प्रति आकर्षित हों।

गे (Gay)- वे पुरुष जो दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षित हों।

एल.जी.बी.टी. (LGBT) - लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर्स।

क्वीयर (Queer)- एक ऐसा शब्द जिसमें वे सभी लोग व नज़रिये शामिल हैं, जो मुख्यधारा द्वारा मान्य जेंडर और यौनिकता की परिभाषा को चुनौती देते हैं।